कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 08.11.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–45 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01 थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. धर्मेन्द्र वर्मा पुत्र राम बहोर नि0 रमनगरा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–237/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. बृजमोहन सोनकर पुत्र बाबू लाल नि0 दिखनौल थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–396/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

जालसाजी करने के आरोप में 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना तरबगंज पुलिस ने जालसाजी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों–01. रामअचल पुत्र रामफूल, 02. रामदत्त पुत्र जगप्रसाद निवासीगण सेमरा शेखपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को थाना तरबगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0–262/20, धारा 419.420.467.468. 471.147.338.504.506 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्तों ने वादिनी प्रेमकुमारी पत्नी राममनोहर नि0 सेमरा शेखपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा का प्लाट कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैनामा करा लिया था तथा प्रार्थिनी द्वारा प्लांट की कब्जेदारी करने पर अभियुक्तों द्वारा वादिनी को गाली–गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना तरबगंज में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें तरबगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अश्लील हरकत करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना धानेपुर पुलिस ने अश्लील हरकत करने के आरोपी अभियुक्त मो0 हामिद पुत्र हनीफ नि0 पटेलनगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त राधा स्वामी पार्क में आने जाने वाली महिलाओं को देख कर अश्लील हरकत करते हुए अश्लील गाने गा रहा था। जिसको धानेपुर पुलिस ने पकड़कर थाना घानेपुर में मु0अ0सं0–335/20, धारा 294 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. वजीरूल हसन पुत्र मुनीजर नि0 लक्ष्मणपुर बाजार भिंगा श्रावस्ती।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–345/20, धारा 458.380.411 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 240 अल्प्रासेफ टेबलेट।

संक्षिप्त विवरण–
आज दिनांक 08.11.2020 को थाना परसपुर के उ0नि0 अनिरूद्ध यादव मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को डेहरास चौराहे के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 240 अल्प्रासेफ टेबलेट बरामद की गयी। अभियुक्त को थाना परसपुर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 अनिरूद्ध यादव।
02. हेड का0 राजकुमार सिंह।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 08.11.2020

20,000/– का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. लल्लू पुत्र रामफेर नि0 गुमदहा थाना करनैगंज जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–
जनपद गोण्डा मे अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान मे पुरस्कार घोषित/वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा श्री शैलेश कुमार पाण्डेय द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में थाना को0 करनैलगंज को बडी सफलता प्राप्त हुई।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना को0 करनैलगंज पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभि0 मु0अ0सं0 374/19 धारा 458.380.411 भादवि थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा में पिछले 01 साल से वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा 20,000/– का पुरस्कार घोषित किया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 प्रदीप कुमार गंगवार।
02. का0 मुनव्वर अली।
03. का0 विशाल चौरासिया।
04. का0 नितेश कुमार।